संख्या-19/2022/348/22-2-2022-25(20)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 05 मई, 2022

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुष्पेन्द्र चौधरी उर्फ गुड्डू पुत्र श्री राम भरत, निवासी जनपद-बस्ती की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30289/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-02-09-2021) दिनांक-16-09-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुष्पेन्द्र चौधरी उर्फ गुड्डू पुत्र श्री राम भरत, जो ग्राम-उमरी अहरा, थाना-मुण्डेरवा, जनपद-बस्ती का रहने वाला है। राम नसीब चौधरी की दिनांक 24.04.2004 को मृत्यु हो जाने के बाद उनके साले रामभरत के लड़के गुड्डू उर्फ पुष्पेन्द्र को अपने यहॉ रख लिया था। स्व0 रामनसीब चौधरी की एकलौती लड़की सरिता थी, जिसकी वरीक्षा आलमबाग, लखनऊ में हुई थी। वरीक्षा में अभियुक्त् पुष्पेन्द्र लालमुन्नी के बीच सम्पत्ति में हिस्से को लेकर विवाद हुआ। इसी कारण बन्दी ने दिनांक 09.11.2005 को मच्छरदानी के डण्डे से बुआ सरिता व दादी लालमुन्नी की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-410/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14, लखनऊ के आदेश दिनांक 16.01.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.06.2021 तक 15 वर्ष 02 माह 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 01 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद-बस्ती, पुलिस अधीक्षक, जनपद-बस्ती एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-बस्ती ने बन्दी द्वारा कारित अपराध के जघन्य श्रेणी में आने, जो व्यापक रूप से समाज को भी प्रभावित करने, बंदी की उम्र अभी कम है तथा भविष्य में अपराध किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किये जा सकने, मृतका के पट्टीदारों के विरूद्ध अपराध करने की संभावना होने, पुन: अपराध कारित किये जाने से रोकने हेतु जेल में आगे निरूद्ध रखे जाने की आवश्यकता होने, गंभीर अपराध किये जाने के कारण समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, समयपूर्व रिहा किये जाने से समाज में गलत संदेश जाने तथा लोक व्यवस्था व कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना से इंकार नहीं किये जा सकने के दृष्टिगत समपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

सिद्धदोष बन्दी पुष्पेन्द्र चौधरी उर्फ गुड्डू पुत्र श्री राम भरत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने सम्पत्ति में हिस्से को लेकर हुए विवाद की रंजिश में दिनांक 09.11.2005 को मच्छरदानी के डण्डे से बुआ सरिता व दादी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लालमुन्नी की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी पुष्पेन्द्र चौधरी उर्फ गुड्डू पुत्र श्री राम भरत को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या-6141/2021 पुष्पेन्द्र चौधरी ऊर्फ गुड्डू व 50 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 06 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.2021 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी पुष्पेन्द्र चौधरी उर्फ गुड्डू (बन्दी संख्या-15483) पुत्र श्री राम भरत, निवासी जनपद-बस्ती के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-19/2022/348(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-19/2022/348/22-2-2022-25(20)/2021

दिनांक 05 अप्रैल, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुष्पेन्द्र चौधरी उर्फ गुड्डू पुत्र श्री राम भरत, जो ग्राम-उमरी अहरा, थाना-मुण्डेरवा, जनपद-बस्ती का रहने वाला है। राम नसीब चौधरी की दिनांक 24.04.2004 को मृत्यु हो जाने के बाद उनके साले रामभरत के लड़के गुड्डू उर्फ पुष्पेन्द्र को अपने यहाँ रख लिया था। स्व0 रामनसीब चौधरी की एकलौती लड़की सरिता थी, जिसकी वरीक्षा आलमबाग, लखनऊ में हुई थी। वरीक्षा में अभियुक्त् पुष्पेन्द्र लालमुन्नी के बीच सम्पत्ति में हिस्से को लेकर विवाद हुआ। इसी कारण बन्दी ने दिनांक 09.11.2005 को मच्छरदानी के डण्डे से बुआ सरिता व दादी लालमुन्नी की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-410/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14, लखनऊ के आदेश दिनांक 16.01.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.06.2021 तक 15 वर्ष 02 माह 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 01 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद-बस्ती, पुलिस अधीक्षक, जनपद-बस्ती एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-बस्ती ने बन्दी द्वारा कारित अपराध के जघन्य श्रेणी में आने, जो व्यापक रूप से समाज को भी प्रभावित करने, बंदी की उम्र अभी कम है तथा भविष्य में अपराध किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किये जा सकने, मृतका के पट्टीदारों के विरूद्ध अपराध करने की संभावना होने, पुन: अपराध कारित किये जाने से रोकने हेतु जेल में आगे निरूद्ध रखे जाने की आवश्यकता होने, गंभीर अपराध किये जाने के कारण समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, समयपूर्व रिहा किये जाने से समाज में गलत संदेश जाने तथा लोक व्यवस्था व कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना से इंकार नहीं किये जा सकने के दृष्टिगत समपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

सिद्धदोष बन्दी पुष्पेन्द्र चौधरी उर्फ गुड्डू पुत्र श्री राम भरत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने सम्पत्ति में हिस्से को लेकर हुए विवाद की रंजिश में दिनांक 09.11.2005 को मच्छरदानी के डण्डे से बुआ सरिता व दादी लालमुन्नी की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी पुष्पेन्द्र चौधरी उर्फ गुड्डू पुत्र श्री राम भरत को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in